न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या– 30/2018

रामभवन आदि बनाम सूरजभान आदि

दिनांक–12.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु संख्या 7 पर सुना गया।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 7:–

उक्त वादबिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादीगण को वाद योजित करने के लिये वाद हेतुक प्राप्त नहीं है?

उक्त वादबिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादपत्र के अभिकथनों के आधार पर उक्त वादबिन्दु विरचित किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र में कथन किया गया है कि वादीगण पिता के जीवनकाल से ही गांव छोडकर चले गये थे और बाहर रहकर अपना व्यवसाय करते रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 2 के पति का पुराना मकान कच्चा मिट्टी से बना होने के कारण बिना देखरेख के वारिस में ध्वस्त हो चुका था, तब प्रतिवादी सं0 1 ने अपने मकान में पिता व माता को लेकर उनकी सेवा सुश्रुषा करता रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से कभी भी बंटवारा की बात नहीं कही है क्योंकि विवादित मकान में उनका कोई भी हक व हिस्सा ही नहीं है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 2 के पति ने एक किता मकान अपनी स्वअर्जित कमाई से बनवाया था। वादीगण का मकान में हिस्सा है, जो प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वादीगण द्वारा वाद दायर किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि वादीगण द्वारा यह वाद अपने पिता के द्वारा निर्मित मकान के बंटवारा हेतु याजित किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित मकान प्रतिवादीगण को कॉलोनी के द्वारा प्राप्त हुआ है, इस पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस तथ्य को केवल साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, कि विवादित मकान प्रतिवादीगण को कॉलोनी के रूप में प्राप्त हुआ है, वादपत्र के अनुसार वादीगण को हक विवादित मकान में नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वादीगण को वाद में वादहेतुक उत्पन्न हुआ है। अतः वादबिन्दु सं0 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से तथा वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा।